

54MS
2020/00080
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

वनाम

श्री. बाबासाहेब

हलका मुंका वजाला

पुत्र श्री. उकासा ज्ञाति भाट

निवासी मुंका वजाला

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. ७७/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका मुंका वजाला ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2072 में मौजा मुंका वजाला के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 वर्ग फी. किस्म भूमि 5 मुंका पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपाष्टित। पीगलीन अधिकारी वजाला कार्य हेतु कोचपुर पंचायत को पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।	
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपाष्टित। गैर सायल को जवाब हेतु अक्सर दिनांक पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश हो।	

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से
उक्त वकील ने उपस्थित होकर जवाब देने समय
नाम जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021
को पेश हो।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीछातीन अधिकारी आफ
उधरी पर सिमाना पच्चाई के पत्रावली दिनांक
17-2-2021 को पेश हो। धन
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपास्थित। गैर
सामल को जवाब हेतु अधिकतम अवसर दिए जाकर
पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपास्थित।
गैर सामल को बारबार अवसर दिए जाने
के उपरान्त भी कोई किछि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत
नहीं कि गैर सामल को अधिकतम मानते
हुए पत्रावली फैसल सुनार हो। निर्णय
अलग से लिखा जाकर इतिवृत्त पत्रावली
है। पत्रावली फैसल सुनार होकर
दाखिल इफ्तार हो।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर